



स्थानान्तर कर के आए हुए राज्याश्रय/एसयालम मांगने वाले, स्थानतार करने वाले और वो लोग जो अपनी सलामती और सुरक्षा के लिए चिंतित हैं उनके लिए सुरक्षा सहायता की माहिती

यह माहिती वेल्स की स्ट्रेटजिक स्थानान्तर साझेदारी के द्वारा इकट्ठी की गई हैं और जब हमे और माहिती उपलब्ध होगी तो इसमे बदलाव या सकता हैं।

#### तत्काल चिंताजनक परिस्थिति

अगर आप जो परिस्थिति मे हो वो हिंसाजनक हो और कोई व्यक्ति भयजनक परिस्थिति मे घिरी हो तो तुरंत ही ९९९ को फोन करे।

#### घृणा के अपराध

घृणा के अपराध क्या हैं?

घृणा के अपराध की समझ यह हैं की वो इसके भोग बनने वाले अथवा तो कोई भी व्यक्ति को यह लगता हैं की वो नीचे बताए मुद्दों से प्रेरित हैं:

- अपंगता/डिसेबीलीटी
- जाती अथवा तो जातीयता
- धर्म अथवा मान्यता
- यौन अभिविन्यास
- ट्रांसजेंडर/लिंग बदलाव की पहचान

कोई भी व्यक्ति घृणा के अपराध का भोग बन सकती हैं, इस के लिए भोग बनने वाली व्यक्ति का उस समूह/वर्ग से होना जरूरी नहीं हैं की जिसके ऊपर हिंसा का निशान बनाया गया हो।

#### आप को घृणा के अपराध की सूचना/रिपोर्ट क्यों करनी चाहिए?

घृणा के अपराध डरावने हो सकते हैं और उसकी सूचना देने से फर्क होता हैं। इस की सूचना देने से भविष्य मे ऐसी घटनाए दूसरों के साथ नहीं हो उसमे आप मदद करते हैं और आपके विस्तार मे किस स्तर पर घृणा के अपराध हो रहे हैं यह समझ ने मे पोलिस की मदद होती हैं।

#### पोलिस

वेल्स मे घृणा के अपराध आप कई तरह से कर सकते हैं। आप घृणा के अपराध की सूचना/रिपोर्ट सीधे पोलिस को कर सकते हैं। सूचना देने के लिए सीधा १०१ पर फोन करे, पोलिस स्टेशन जाए, नीचे बताई कड़ी/लिनक के द्वारा सूचित/रिपोर्ट करे:

घृणा के अपराध कैसे रिपोर्ट करे | साउथ वेल्स पुलिस(south-wales.police.uk)

घृणा के अपराध कैसे रिपोर्ट करे | डिसिड पोवेस पुलिस

घृणा के अपराध कैसे रिपोर्ट करे - नॉर्थ/उत्तर वेल्स पुलिस

घृणा के अपराध कैसे रिपोर्ट करे - ग्वेन्ट पुलिस

घृणा के अपराध रिपोर्ट करे | Police.uk (www.police.uk)

'टु विज्ञान' अर्थात सत्य दर्शन, यह पुलिस द्वारा आर्थिक सहयोग से बनी वेबसाइट है जो लोगों को घृणा के अपराध में सहयोग देती है: समलैंगिकों के प्रति, ट्रांसफोबिक/लिंग बदलाव किए लोगों के प्रति, जातीय, धार्मिक और अपंग/डीसेबल्ड लोगों के प्रति घृणा के अपराध रोकिए - टु विज्ञान(रिपोर्ट-इट.ऑर्ग.युके) ([report-it.org.uk](http://report-it.org.uk))

**घृणा के अपराध रिपोर्ट करना और उसके भोग बनने वालों के लिए सहायता**

ऐसी कई **परोपकारी/चेरीटी** संस्थाए हैं की जो आपको घृणा के अपराध रिपोर्ट करने में सहाय करेगी और आपको मददरूप होगी

घृणा के अपराध के भोग बनने वालोंके लिए सहायता/विक्टिम विक्टिम सपोर्ट: वेल्स हेट क्राइम का संपर्क करे ([विक्टिमसपोर्ट.ऑर्ग.युके](http://victimsupport.org.uk)) ([victimsupport.org.uk](http://victimsupport.org.uk)) भोग बनने वालों की सहायता/विक्टिमसपोर्ट का फोन: ०३०० ३०३१ ९८२

ईमेल: [हेट.क्राइमवेल्स@विक्टिमसपोर्ट.ऑर्ग.युके](mailto:Hate.CrimeWales@victimsupport.org.uk) [Hate.CrimeWales@victimsupport.org.uk](mailto:Hate.CrimeWales@victimsupport.org.uk)

घृणा के अपराध सूचित/रिपोर्ट करने में मदद और सहायता: होम-स्टॉप हेट युके २४

घंटे चालू सहायता का फोन: ०८०० १३८ १६२५

टेक्स: ०७७१७ ९८९ ०२५/07717 989 025

ईमेल: [टॉक@स्टॉपहेटयुके.ऑर्ग/talk@stophateuk.org](mailto:टॉक@स्टॉपहेटयुके.ऑर्ग/talk@stophateuk.org)

स्वतंत्र युके परोपकारी(चेरीटी) की जो अपराध की माहिती बिना नाम दीए स्वीकारती हैं - क्राइमस्टॉपर्स (क्राइमस्टॉपर्स-युके.ऑर्ग) फोन:०८०० ५५५ १११ ([crimestoppers-uk.org](http://crimestoppers-uk.org))

**मुस्लिमो के प्रति घृणा के लिए सहायता**

मुस्लिमो के प्रति घृणा के लिए सहायता: मामा को बताए: मुस्लिम विरोधी घृणा का रिपोर्ट करे अथवा तो इस्लामाफोबिआ - टेलमायूके.ऑर्ग ([tellmamauk.org](http://tellmamauk.org))

फोन:०८०० ४५६ १२२६

टेक्स: ०११५ ७०७ ०० ०७

व्हॉट्सएप: ०७३४ १८४ ६०८६

ईमेल: [इन्फो@टेलमायूके.ऑर्ग](mailto:इन्फो@टेलमायूके.ऑर्ग)

[info@tellmamauk.org](mailto:info@tellmamauk.org)

**इंटरनेट पर घृणामय भाषण, घृणा के अपराध करना और ऑनलाइन दुर्व्यवहार करना**

घृणा भरे भाषण और घृणा के ऑन लाइन अपराध रिपोर्ट करने की माहिती: [हानिकारक सामग्री की रिपोर्ट करें](#) - हम सामग्री दुरकरने में आपकी सहायता करते हैं

**राज्याश्रय/एसयालम चाहने वाले लोगों के लिए सहायता, जो बच्चे अकेले हैं और राज्याश्रय/एसयालम चाहते हैं**  
आप तत्काल भयजनक परिस्थिति में हैं तो पोलिस को ९९९ पर फोन करे। अन्यथा आप अपने सामाजिक कार्यकर/निजी सलाहकार को सहायता के लिए फोन कर सकते हैं।

**वयस्क राज्याश्रय/एसयालम**

**चाहने वाले क्लियरसिंग रेडीहोम्स**

अगर आप वेल्स में राज्याश्रय/एसयालम मांग रहे हैं तो आपको आवास सुविधा 'क्लियरसिंग रेडीहोम्स' प्रदान करते हैं। आप जहां निवास करते हैं उस जगह के बारे में आप चिंतित हो अथवा तो आप को लगता है की आप असुरक्षित हैं, पहले तो अपने प्रबंधक का संपर्क करे। इसकी माहिती आपको परिचय पेक में दी गई होगी।

**स्थानान्तर/माईग्रेशन करने वालों के लिए सहायता**

[Contact | Migrant Help \(.](#) राज्यआश्रय/एसयालम मांगने वाले 'माईग्रंट हेल्प' नाम की संस्था से २४/७ सहाय ले सकते हैं। अगर कोई चिंता हो अथवा तो सुरक्षा की जरूर हो तो आप फर्स्ट रिस्पॉन्स सेंटर को ०८०० ०१० ५०३ पर संपर्क करे अथवा तो उनकी वेब साइट पर जाए: [संपर्क - स्थानतर करने वालों के लिए सहाय \(अर्थात-माईग्रंट हेल्प\) \(migranthelpuk.org\)](#)

**माईग्रंट हेल्प राज्यआश्रय/एसयालम मांगने वालों को यह सलाह देते हैं की आवास संबंधी कोई भी बात हों तो सबसे पहले 'क्लियरसिंग रेडीहोम्स' का संपर्क करे।**

**दूसरे संसाधन**

**नेशन ऑफ सेंकट्यूरी**

सेंकट्यूरी की वेब साइट वेल्स में कैसे सुरक्षित रहे इस की माहिती प्रदान करती हैं:

[धी सेंकट्यूरी - स्टेईंग सेफ \(गव.वेल्स\) \(gov.wales\)](#)

**मानसिक स्वास्थ्य सहाय**

तत्काल मानसिक स्वास्थ्य की सहाय के लिए एनएचएस को १११ पर फोन करें और विकल्प २ दबाए। यह सेवा २४/७ वेल्स के सभी प्रांत में उपलब्ध हैं। जिन्हे यह सहाय की जरूरत हो वो इसे जब भी इस की ज्यादा से ज्यादा जरूर हो तब जल्द ही पहुँच पाते हैं।

वेल्स में फोन की सहायता की सेवा २४/७ खुली रहती हैं। इसमें भावुक सहाय और सलाह भी शामिल हैं। यह निशुल्क फोन सेवा हैं, क्रमांक/नंबर हैं ०८०० १३२ ७३७. यह माहिती मानसिक स्वास्थ्य और सुखकारी(मेंटल हेल्थ एण्ड वेलबीइंग वेब साइट) <https://www.callhelpline.org.uk/> से प्राप्त कर सकते हैं।

और ज्यादा माहिती के लिए यहाँ जाइए: [एनएचएस १११ वेल्स - मेंटल हेल्थ एण्ड वेल बीइंग NHS 111 Wales - Mental Health and Wellbeing.](#)

## देवीस वेल्स

देवीस वेल्स सर्च एन्जिन आपकी स्थानीय स्थानतार/माईग्रंट, रेफ्यूजी और एसयालम मांगने वाली संस्थाए और वो संस्थाए की जो अन्य जरूरतो मे सहायता देती हैं: [देवीस वेल्स Dewis.wales](https://www.dewis.wales)

यह पत्रिका पर आपके विचार और ताजा माहिती के लिए कृपया ईमेल कीजिए  
[डब्ल्यूएसएमपीकॉमस@डब्ल्यूएलजीए.जीओवी.युके](mailto:DBL@wlg.gov.uk) [WSMPComms@wlg.gov.uk](mailto:WSMPComms@wlg.gov.uk)